

1
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी
पीठासीन अधिकारी :- सत्य नारायण-1 (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रकरण संख्या :- 196/2025
दायर दिनांक :- 21.07.2025

जी.सी.एम.एस. नम्बर :- 2025/335
निर्णय दिनांक :- 24.03.2026

1. कनक धारा एग्रोलैण्ड प्राईवेट लिमिटेड ऑफिस-01, तीसरा प्लोर अम्बर टावर संसारचन्द्र रोड़ जयपुर जरिये प्राधिकृत निदेशक गुरकरणसिंह

प्रार्थीगण

बनाम

1. करणीसिंह पुत्र खीवसिंह जाति राजपूत निवासी रोड़ा तहसील नोखा जिला बीकानेर
2. भोजराजसिंह पुत्र खीवसिंह जाति राजपूत निवासी रोड़ा तहसील नोखा जिला बीकानेर
3. मेघसिंह पुत्र खीवसिंह जाति राजपूत निवासी रोड़ा तहसील नोखा जिला बीकानेर
4. सोहनसिंह पुत्र खीवसिंह जाति राजपूत निवासी रोड़ा तहसील नोखा जिला बीकानेर
5. कल्याणसिंह पुत्र विशालसिंह जाति राजपूत निवासी रोड़ा तहसील नोखा जिला बीकानेर
6. कानसिंह पुत्र जगमालसिंह जाति राजपूत निवासी रोड़ा तहसील नोखा जिला बीकानेर
7. महेन्द्रसिंह पुत्र जगमालसिंह जाति राजपूत निवासी रोड़ा तहसील नोखा जिला बीकानेर
8. राजूसिंह पुत्र जगमालसिंह जाति राजपूत निवासी रोड़ा तहसील नोखा जिला बीकानेर
9. स्वरूपसिंह पुत्र जगमालसिंह जाति राजपूत निवासी रोड़ा तहसील नोखा जिला बीकानेर
10. हवाकंवर पत्नी जगमालसिंह जाति राजपूत निवासी रोड़ा तहसील नोखा जिला बीकानेर
11. खमा कंवर पत्नी जगमालसिंह जाति राजपूत निवासी रोड़ा तहसील नोखा जिला बीकानेर
12. महेन्द्रसिंह पुत्र अमरसिंह जाति राजपूत निवासी रोड़ा तहसील नोखा जिला बीकानेर
13. रघुवीरसिंह पुत्र अमरसिंह जाति राजपूत निवासी रोड़ा तहसील नोखा जिला बीकानेर
14. राज्य सरकार जरिये श्रीमान तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी

अप्रार्थीगण-

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थित :-1. श्री मदनसिंह भाटी अधिवक्ता प्रार्थी
2. पैरोकार सरकार तहसीलदार बाप

--:: निर्णय ::--

प्रार्थी ने राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 का इस आशय से पेश किया है कि प्रार्थी की खातेदारी अधिकारों की कब्जा काशत की भूमि खेत खसरा नम्बर 720/1393 रकबा 9.7124 हैक्टेयर सरहद मौजा खिदरत पटवार क्षेत्र कानसिंह की सिड तहसील बाप जिला फलोदी (राज.) में स्थित है। जमाबन्दी व राजस्व भू-नक्शा की वर्तमान प्रतिलिपि संलग्न प्रार्थना पत्र पेश है। उक्त खसरा के पैमाईश आवेदन पर तहसीलदार बाप द्वारा दिनांक 24.06.2025 को जारी आदेश क्रमांक 2025/49484/8 की पालना में दिनांक 26.06.2025

Saty
उप खण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)

को हल्का पटवारी द्वारा मौके पर पहुंच कर मुस्तकिल बिन्दु से पैमाईश कर मौका पर ही फर्द पैमाईश तैयार कर मौतबीरान के रूबरू प्रार्थी तथा पड़ोसी खातेदारान को सीमा ज्ञान करवाया गया तथा सीमा चिह्न कायम किये गये। दिनांक 26.06.2025 को हल्का पटवारी द्वारा प्रार्थी के उक्त खसरे की पैमाईश कर कायम किये गये सीमा चिन्हो (फर्द नजरी नक्शा) के अनुसार प्रार्थी द्वारा वर्षा ऋतु के मध्यनजर अपने उक्त खसरे की सीमाओं पर फसल, घास, पाला आदि की सुरक्षा के लिए पत्थर की पट्टियां रोपकर बाड़, तारबन्दी इत्यादि करना शुरू करने पर पड़ोसी खातेदारों द्वारा व्यवधान पैदाकर प्रार्थी को तारबन्दी नहीं करने दे रहे है। प्रार्थी की उक्त भूमि की बाड़, तारबन्दी नहीं हो पाने से प्रार्थीगण अपनी फसल, घास, पाला इत्यादि की सुरक्षा पत्थर की पट्टिया रोपकर तारबन्दी, जाली नहीं कर पाने से प्रार्थी को अत्यधिक आर्थिक नुकसान हो रहा है। प्रार्थी अपनी उक्त भूमि की मौका फर्द दिनांक 26.06.2025 के माफिक सीमा पर पत्थरगढी करवाने का कानूनन अधिकारी है, जिसका यह प्रार्थना पत्र पत्थरगढी करवाने का पेश है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गयी ओर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड डाक के नोटिस से तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 14 पैरोकार सरकार तहसीलदार बाप ने स्वयं उपस्थित होकर कथन किया कि ग्राम खिदरत पटवार हल्का कानसिंह की सिड तहसील बाप के खसरा नम्बर 720/1393 रकबा 9.7124 हैक्टेयर भूमि का मौका कमिश्नर नियुक्त कर नेखमबदी आदेश जारी किया जाता है तो कोई आपत्ति नहीं है। अप्रार्थी संख्या 1 ता 13 की ओर से कोई उपस्थित नहीं आये लिहाजा इनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। पत्रावली बहस में रखी गई।

अधिवक्ता प्रार्थीगण ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम खिदरत पटवार हल्का कानसिंह की सिड तहसील बाप के खसरा नम्बर 720/1393 रकबा 9.7124 हैक्टेयर स्थित है। उक्त भूमि पर प्रार्थी का कब्जा व काश्त आज तक लगातार शांतिपूर्वक चला आ रहा है उक्त भूमि के चारों ओर तारबन्दी नहीं होने की वजह से प्रार्थी द्वारा की जा रही काश्त को आवारा पशुओं द्वारा नष्ट किया जा रहा है जिससे प्रार्थी को अपूरणीय क्षति हो रही है। इसलिये उक्त भूमि की पैमाईश फर्द दिनांक 26.06.2025 अनुसार अपनी हद में पत्थरगढी किये जाने के आदेश फरमावे।

अधिवक्ता प्रार्थी एवं पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई बहस पर मनन किया गया तथा उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी, नक्सा ट्रेस एवं मौका फर्द का अवलोकन किया गया। प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम खिदरत पटवार हल्का कानसिंह की सिड तहसील बाप के खसरा नम्बर 720/1393 रकबा 9.7124 हैक्टेयर स्थित है। प्रार्थी वादग्रस्त भूमि का खातेदार है रेकर्ड्ड खातेदार को अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढी करवाने का पूर्ण अधिकार है। इसलिए प्रार्थी वादग्रस्त भूमि की पत्थरगढी पैमाईश फर्द दिनांक 26.06.2025 के अनुसार करवाने के हकदार है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दस्तावेजात से साबित होने के कारण स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

Satyam
उपखण्ड अधिकारी
खस (फलोदी)



आदेश

प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाता है कि ग्राम खिदरत पटवार हल्का कानसिंह की सिड तहसील बाप के खसरा नम्बर 720/1393 रकबा 9.7124 हैक्टेयर भूमि की पत्थरगढी पैमाईश फर्द दिनांक 26.06.2025 के अनुसार पड़ोसी खातेदारों को सूचित करते हुवे किये जाने के आदेश तहसीलदार बाप को दिया जाता है। खर्चा पक्षकार अपना-अपना वहन करें। प्रार्थी का उक्त वर्णित आराजीयात पर कब्जा नहीं होने की स्थिति में यह आदेश कब्जा सुपूर्दगी हेतु मान्य नहीं है। मौका कमिश्नर शुल्क 1500/- प्रार्थी द्वारा अदा किया जायेगा। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर, दर्ज नम्बर से कम हो, बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 24.03.2026 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



Satya...
 (सत्य नारायण)
 उपस्थित अधिकारी
 उपस्थित अधिकारी
 बाप (फलोदी)